

जिला बाल संरक्षण इकाई
महिला एवं बाल विकास विभाग, राजनांदगांव
कलेक्ट्रेट परिसर, जिला राजनांदगांव, (छ.ग.), 491441

क्रमांक 2017/मबावि/आईसीपीएस/16-17

राजनांदगांव, दिनांक 23.01.2017

// विज्ञापन //

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के अंतर्गत जिला स्तरीय परामर्शदाता पद एवं आउटरीच वर्कर पर संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन

भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वीकृत एकीकृत बाल संरक्षण योजना के प्रावधानों व स्वीकृती अनुसार एकीकृत बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) राजनांदगांव में परामर्शदाता पद एवं आउटरीच वर्कर पर संविदा भर्ती हेतु पात्र आवेदकों से दिनांक 20.02.2017 तक आवेदन आमंत्रित हैं। पद एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है:-

पदनाम	पद संख्या	एकमुश्त संविदा वेतन प्रतिमाह	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनुभव	वांछनीय योग्यता
परामर्शदाता	01 (अनारक्षित)	14000.00	समाजशास्त्र / मनोविज्ञान / समाज विज्ञान या समकक्ष विषयों में स्नातकोत्तर	कम्प्यूटर पर एम.एस. आफिस / वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में समक्ष होना चाहिए।	शासकीय / अर्द्धशासकीय / अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों / शासन से अनुदान प्राप्त बाल देखरेख संस्थाओं एवं चाईल्ड लाईन में बच्चों की देखरेख / संरक्षण / पुनर्वास विषय पर कम से कम 5 वर्ष का कार्यानुभव। बालक / किशोर मामलों में कम से कम दो वर्ष तक देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की काउंसलिंग के अनुभव वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। अन्य बाते समान होने पर महिला आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।	अंग्रेजी हिन्दी एवं स्थानीय भाषा का ज्ञान।
आउटरीच वर्कर	01 अनु0 जनजाति	8000.00	किसी भी विषय में स्नातक	समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, स्नातक को प्राथमिकता	शासकीय / अर्द्धशासकीय / प्रतिष्ठित निजी संस्थान में बाल देखरेख / संरक्षण / पुनर्वास / बाल कल्याण विषय पर कम से कम 1 वर्ष का कार्य का अनुभव	अंग्रेजी हिन्दी एवं स्थानीय भाषा का ज्ञान।

निर्धारित प्रारूप में भरे हुए आवेदन पत्र निम्न पते पर प्रेषित किये जावे -

1. आवेदन पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, राजनांदगांव को प्रस्तुत करना होगा।
2. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20.02.2017 है।
3. आवेदन पत्र का प्रारूप WWW.rajnandgaon.gov.in की वेबसाईट पर उपलब्ध है।
4. महत्वपूर्ण सूचना - यदि उपरोक्त पद के लिए राज्य स्तर पर आवेदन भेजा जाता है तो उस पर कोई कार्यवाही न करते हुए निरस्त माना जायेगा।

क्रमशः पेज क्र.02 पर



उपरोक्त पदों हेतु नियम व शर्तें निम्नानुसार है :-

01. संविदा नियुक्ति 02 वर्ष के लिये होगी। कार्य करने की योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा आगे बढ़ाने का निर्णय विभाग/संबंधित जिले के सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा, अन्यथा संविदा नियुक्ति अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
02. संविदा नियुक्ति अवधि में योजना प्रावधानों के अनुसार एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा अतः संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी। सेवा समाप्ति के पश्चात् संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान भत्ता, मृत्यु लाभ इत्यादि की भी पात्रता नहीं होगी।
03. संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है। संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
04. आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2017 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए।
05. उक्त पद हेतु अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
06. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त होनी चाहिए।
07. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे एवं वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची स्वप्रमाणित अथवा सत्यापित होना चाहिए।
08. अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था से नियोक्ता द्वारा जारी एवं स्वप्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
09. शासकीय/अर्धशासकीय/निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को आवेदन संबंधित जानकारी अपने नियोक्ता को देते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
10. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन अमान्य कर दिये जायेगे तथा इस संबंध में उम्मीदवार को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
11. उपरोक्त उल्लेखित योग्यता एवं अनुभव नहीं रखने वाले उम्मीदवार आवेदन न करे।
12. लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में आवेदित पद का नाम स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम व पत्र व्यवहार का पूरा पता लिखा होना चाहिए।
13. आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे। आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेगे। आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रु. का टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
14. लिखित परीक्षा/समुह चर्चा/स्किल टेस्ट में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार से यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।




15. उपरोक्त पद पर चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

पदनाम	चयन प्रक्रिया
परामर्शदाता	<ol style="list-style-type: none"> 1. वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का weightage देते हुये अधिकतम 50 अंक 2. पदानुरूप अनुभव से अधिक अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक निर्धारित रहेंगे। अनुभव पर अधिकतम 25 अंक दिये जायेंगे। 3. लिखित परीक्षा/समूह चर्चा/स्किल टेस्ट से संबंधित परीक्षा पर 25 अंक निर्धारित रहेंगे। 4. उत्कृष्ट राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के उपाधि धारक को चयन में वरीयता दी जायेगी। 5. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर अधिकतम प्राप्त अंको की मेरिट सूची के आधार पर मेरिट क्रम में 01 पद के लिए अधिकतम 10 उम्मीदवारों को प्राक्चयन परीक्षा/लिखित परीक्षा/समूह चर्चा/स्किल टेस्ट/कम्प्यूटर परीक्षा हेतु बुलाया जावेगा।
आउटरीच वर्कर	<ol style="list-style-type: none"> 1. वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का weightage देते हुए अधिकतम 75 अंक, 2. पदानुरूप अनुभव को अधिक अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक निर्धारित रहेंगे। अनुभव पर अधिकतम 25 अंक दिये जायेंगे।

16. प्राप्त आवेदनों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
17. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी कार्यालय कलेक्टर राजनांदगांव, कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के सूचना पटल पर एवं वेबसाईट www.rajnandgaon.gov.in पर देखी जा सकती है।
18. अपात्र अथवा मेरिट क्रम में न आने वाले अभ्यर्थियों को सूचना नहीं दी जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों को मेल एवं एसएमएस से सूचना दी जायेगी। अतः सही मेल आईडी व मोबाइल नं. का उल्लेख आवेदन पत्र में किया जावे।
19. आवेदक का आवेदन दिनांक 20.02.2017 को सायं 5:00 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला राजनांदगांव में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित)


 जिला कार्यक्रम अधिकारी सह सचिव
 जिला बाल संरक्षण इकाई (मबावि)
 जिला राजनांदगांव, (छ.ग.)

14. रोजगार कार्यालय का नाम/पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक.....

15. अन्य योग्यता का विवरण :-

16. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :-

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं।

17. अनिवार्य संलग्नकों की सूची -

1. जन्म तिथि हेतु 10वीं की अंकसूची/ प्रमाण पत्र
2. 12वीं की अंकसूची
3. स्नातक की अंकसूची
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
5. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
6. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र।

18. अन्य संलग्नकों का विवरण

1.
2.
3.
4.

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषण करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान -.....

दिनांक -.....